फर्द अहकाम

नरपत सिंह **बनाम** मोहन सिंह

[illegible] कलक्टर, बस्सी

[illegible]कदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 197/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से	**विशेष विवरण**
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित। अप्रार्थी सं0 46 व 47 के विरुद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब न देकर सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 75/11, 75/12, 75/13 75/14, 75/15, 75/17, 75/19, 75/25, 75/26 75/27, 75/28, 75/29, 75/30, 75/31, 75/33 75/34, 75/38 कुल किता 17 कुल रकबा 5.5891 है0 व ख0नं0 74, 75/10, 75/5, 75/6, 75/8, 75/9 कुल किता 6 कुल रकबा 1.9726 है0 व ख0नं0 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/7 कुल किता 5 कुल रकबा 3.5533 है0 स्थित ग्राम हनुमानपुरा देवगांव प0ह0 बराला भू0अ0नि0 सांभरिया तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 220/2024 उनवान नरपत सिंह बनाम मोहन सिंह के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	